मुजफ्फरनगर□ मुजफ्फरनगर दंगों की जांच कर रहे वशिेष जांच दल के आरोपपत्र में बसपा सांसद कादरि राणा, पार्टी दो वधिायकों और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सईदउज-जमा सहति 10 लोगों के नाम शामलि हैं□

इन लोगों पर मुस्लमि सामुदायकि पंचायत के दौरान भ□काऊ भाषण दे कर सांप्रदायकि तनाव को ब□ावा देने का आरोप है□

सूत्रों ने बताया कि यह आरोपपत्र वशिेष जांच दल ने क्ल मुख्य न्यायकि मजस्ट्रिेट नरेंद्र कुमार की अदालत में दाखलि कयिा□ आरोपपत्र जलि क्वाल गांव में तनाव फैलने के बाद लागू की गई नषिेधाज्ञा के बावजूद 30 अगस्त 2013 को शहर के खालापार इलाके में आरोपयिों द्वारा कथति भ□काऊ भाषण देने के सलिसलिे में दाखलि कयिा गया है□

उन्होंने बताया कि राणा के अलावा आरोपपत्र में चरतावल से बसपा के वधिायक नूर सलीम राणा, मीरनपुर से पार्टी के वधिायक मौलाना जमील, कांग्रेस नेता सईद-उज-जमा, उनके पुत्र सलमान सईद, शहर इकाई के बोर्ड सदस्य असद जÞमा अंसारी, पूर्व सदस्य नौशाद कुरैशी, व्यापारी अहसान कुरैशी, सुल्तान मुशीर और नौशाद के नाम हैं□

इन लोगों पर नषिेधाज्ञा का उल्लंघन करने और भ□काऊ भाषण दे कर सांप्रदायकि तनाव को उकसाने का आरोप है□

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी में दंगों के सलिसलिे में मुस्लमि नेताओं के खलिाफ मामले वापस लेने की कोशशि की थी जबकि कानून मंत्रालय ने जलि प्रशासन से रपिोर्ट मांगी थी□ समझा जाता है कि मंत्रालय राज्य सरकार के इस कदम के पक्ष में नहीं था□

राणा ने राष्ट्रीय लोकदल में शामलि होने के लि□ वर्ष 2007 में समाजवादी पार्टी छो□ दी थी□ वर्ष 2009 में वह बसपा में शामलि हो ग□ थे□

(भाषा)